IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति 2020 में वर्णित ि”ाक्षक ि”ाक्षा संबंधी प्रावधानों का वि”लेशणात्मक अध्ययन

डॉ० ललित मोहन जो”ाी

सहायक प्राध्यापक बी.एड. विभाग

लक्ष्मण सिंह महर राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड

सारां”ा

ि”ाक्षा किसी भी राश्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक राश्ट्र की उन्नति उसकी ि”ाक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में विविध कारणों से मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हं और ि”ाक्षा भी इन परिवर्तन से प्रभावित हुई है। इन्हीं परिवर्तित परिस्थितियों की पृश्ठभूमि में भारत में नवीन आव”यकताओं के अनुरूप ‘‘राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति 2020’’ निर्मित की गई है। इस नीति में वर्तमान ि”ाक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये गए हैं। ि”ाक्षक–ि”ाक्षा, प्रत्येक ि”ाक्षा नीति का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अतः इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति 2020 में इस पर व्यवस्थित रूप से विचार किया गया है। प्रस्तुत भाोध आलेख मं इस नीति में वर्णित ि”ाक्षक–ि”ाक्षा संबंधी प्रावधानों का वि”लेशण करते हुए इसके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए उनके समाधान हेतु सुझाव प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य भाब्दावली– राश्ट्रीय ि”ाक्षा नीति 2020, ि”ाक्षक–ि”ाक्षा, प्रावधान, क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ, क्रियान्वयन संबंधी सुझाव

ि”ाक्षा संबंधी किसी भी योजना में ि”ाक्षक ि”ाक्षा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब भी किसी राश्ट्र में भौक्षिक सुधार अथवा भौक्षिक नीतियों पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो यह आव”यक हो जाता है कि जो भी परिवर्तन अपेक्षित है, पहले ि”ाक्षक ि”ाक्षा को उनके अनुरूप परिवर्तित कर लिया जाए। वस्तुतः ि”ाक्षक ि”ाक्षक का कार्यक्रम, सम्पूर्ण ि”ाक्षा की द”ाा और दि”ाा को निर्धारित करता है। नई ि”ाक्षा नीति 1986 में भी इस ओर संकेत करते हुए यह कहा गया है– ‘‘किसी भी समाज में अध्यापकों की स्थिति से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक दृश्टि का पता लगता है। कोई भी राश्ट्र अपने

अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं हो सकता, सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे अध्यापकों को निर्माण तथा सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिल सके।"

ठाकुर (2020) का मत है कि भारत में f"kक्षक f"kक्षा से संबंधित विम"f दीघ अवधि से चलता आ रहा है। इसके परिणामस्वरूप f"kक्षक f"kक्षा हेतु अनेक नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन भी होता रहा है। परंतु इसके उपरान्त भी अध्यापक f"kक्षा की संरचना और इसके क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन करने वाले निकायों और संस्थानों की कार्यप्रणाली सदैव चिंता का विशय रही है। स्वतंत्रता के प"चात् f"kक्षक f"kक्षा संस्थानों की संख्या में तो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है परंतु कहीं न कहीं गुणात्मक संवर्धन उपेक्षित रह गया। जे. एस. वर्मा आयोग (2012) का कथन है कि –''एकल विशयक f"kक्षक f"kक्षा संस्थान जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है, f"kक्षक f"kक्षा के प्रति ले"k मात्र भी प्रयास नहीं कर रहे हैं अपितु इसके स्थान पर ऊंचे दामों में डिग्रियों को बेच रहे हैं। इस दि"kा में अब तक किए गए विनियामक प्रयास न तो व्यवस्था में व्याप्त भ्रश्टाचार को रोक पाए हैं और न ही गुणवत्ता के लिए निर्धारित बुनियादी मानकों को ही लागू कर पाए हं। अपितु इन प्रयासों का इस क्षेत्र में उत्कृ'टता और नवाचारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।'' प्रोफेसर य"kपाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट ''f"kक्षा बिना बोझ के'' (1993) में उल्लिखित है कि – ''f"kक्षक प्रf"kक्षण कार्यक्रम की न्यूनताओं के कारण विद्यालयों मं f"kक्षण की गुणवत्ता असंतोशजनक रही है। विद्यालयी f"kक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिता का सुनिf"चत करने के लिए इसकी विशय वस्तु का पुनःनिर्माण किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि प्रf"kक्षणार्थी स्व अधिगम एवं स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सकें।''

राश्ट्रीय f"kक्षा नीति 2020 में f"kक्षक f"kक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु किए गए प्रावधान–

f"kक्षक f"kक्षा की उपर्युक्त न्यूनताओं को ध्यान में रखते हुए राश्ट्रीय f"kक्षा नीति 2020 के भाग 2, में उच्चतर f"kक्षा के अंतर्गत f"kक्षक f"kक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जो कि संक्षेप मं इस प्रकार है–

- भावी f"kक्षकों के निर्माण में अध्यापकों की f"kक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस हेतु बहुविशयक दृश्टिकोण और ज्ञान के साथ मूल्यों के निर्माण एवं अभ्यास की भी आव"यकता है। अध्यापक f"kक्षा स आपेक्षित है कि वह f"kक्षण प्रक्रिया में अद्यतन प्रगति के साथ ही भारतीय म्ल्यों, भाशाओं, ज्ञान, लोकाचार और जनजाति परंपराओं के प्रति भी जागरूक रहें।
- जस्टिस वर्मा समिति 2012 के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए बिंदु संख्या 15.2 में f"kक्षक f"kक्षा की नियामक संस्थाओं में पुनरुद्धार करते हुए f"kक्षक f"kक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है।
- बिंदु संख्या 15.4 में f"kक्षक f"kक्षा कार्यक्रम को बहुविशयक संस्थानों में संचालित करने एवं 4 वर्शीय एकीकृत f"kक्षण प्रf"kक्षण कार्यक्रम संचालित करने का सुझाव दिया गया है।

- बिंदु संख्या 15.5 में उल्लिखित है कि एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने पर बी.एड. के साथ ही एक अन्य विशय में मेजर ड्यूअल स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 4 वर्शीय एकीकृत बी. एड. संस्थानों में ही 2 वर्शीय और 1 वर्शीय बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करने का प्रावधान भी किया गया है।
- बिंदु संख्या 15.6 में यह वर्णित है कि अध्यापक ि"ाक्षा प्रदान करने वाले उच्चतर संस्थान, ि"ाक्षा और इससे संबंधित विशयों के साथ ही वि"ोश विशयों में वि"ोशज्ञों की उपलब्धता को सुनि"चत करेंगे। प्रत्येक उच्चतर ि"ाक्षा संस्थान सार्वजनिक एवं निजी विद्यालयों तथा विद्यालयों परिसरों के नेटवर्क से जुड़ा होगा जहां भावी ि"ाक्षक अन्य सहायक गतिविधियां जैसे सामुदायिक सेवा, वयस्क एवं व्यावसायिक ि"ाक्षा आदि में सहभागिता के साथ ि"ाक्षण कार्य करेंगे।
- बिंदु संख्या 15.7 में ि"ाक्षक ि"ाक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए सेवा पूर्व ि"ाक्षक ि"ाक्षा कार्यक्रमों में प्रवे"ा, राश्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा निमित विशय एवं योग्यता परीक्षण के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। इन परीक्षणों को दे"ा की भाशाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते मानकीकृत किए जाने का सुझाव भी दिया गया है।
- बिंदु संख्या 15.8 में प्रावधान किया गया है कि ि"ाक्षक ि"ाक्षा विभाग में प्रत्येक सदस्य का पीएच–डी० धारक होना आव"यक नहीं होगा परंतु ि"ाक्षण/फील्ड/"ोध के अनुभव को महत्व प्रदान किया जाएगा।
- बिंदु संख्या 15.9 में सभी नवीन पीएच–डी० प्रवे"ा कर्ताओं को उनके द्वारा चुने गए विशय में ि"ाक्षण/ि"ाक्षा/अध्यापन/लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्क्रम लेने का प्रावधान किया गया है। प्रि"ाक्षण अवधि के दौरान उन्हें भौक्षणिक प्रक्रियाओं, पाठ्क्रम, वि"वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैस क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ ही पीएच–डी० विद्यार्थियों के लिए ि"ाक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक ि"ाक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है।
- बिंदु संख्या 15.10 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि कॉलेज और वि"वविद्यालय के ि"ाक्षकों के लिए सेवारत सतत व्यावसायिक विकास का प्रि"ाक्षण संचालित साधनों के माध्यम से ही जारी रहेगा जिनका और अधिक सुदृढ़ीकरण एवं विकास किया जाएगा। ि"ाक्षकों के ऑनलाइन प्रि"ाक्षण के लिए स्वयं तथा दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लटफॉर्म के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाएगाा जिससे मानकीकृत प्रि"ाक्षण कार्यक्रमों को कम समय मे अधिक से अधिक ि"ाक्षकों को प्रदान करना संभव हो सकेगा।
- बिंदु संख्या 15.11 में यह प्रावधान किया गया है कि मेंटरिंग के लिए एक राश्ट्रीय मि"ान को स्थापित किया जाएगा, जिसमें वरिश्ठ सेवानिवृत्त उत्कृश्ट संकाय सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इनमें भारतीय भाशाओं में पढ़ाने की क्षमता रखने वाले उन संकाय सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाएगा जो वि"वविद्यालय–कॉलेजों को लघु और दीघकालिक पराम"र्/व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों के अध्ययन स यह ज्ञात होता है कि राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति 2020 में ि"ाक्षक ि"ाक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ि"ाक्षक ि"ाक्षा के संदर्भ में राश्ट्रीय ि"ाक्षा नीति में दो स्थानों पर चर्चा की गई है। प्रथम भाग वह है जिसमें भाग 1, विद्यालयो ि"ाक्षा के अंतर्गत क्रम संख्या 5 में

f"k{kकों की तैयारी के संदर्भ में चर्चा की गई है और दूसरा भाग वह है जहां पर वि"ोश रूप से f"k{kक f"k{kा को उच्चतर f"k{kा के अंतर्गत स्थान प्रदान कर इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

f"k{kा नीति 2020 की महत्वपूर्ण देन यह है कि इसमें भारतीय ज्ञान एवं मूल्यों से युक्त बहुविशयक दृश्टिकोण को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही धरातलीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए f"k{kक f"k{kा की नियामक संस्थाओं में सुधार करने का सुझाव भी दिया गया है। यह f"k{kा नोति f"k{kक f"k{kा के सिद्धान्त एवं व्यवहार के मध्य के अंतर को, एकीकृत f"k{kक प्रf"k{kण कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने का प्रयास करती हुई प्रतीत होती है। f"k{kक f"k{kा की ओर मेधावी विद्यार्थियों को आकर्शित करने के लिए नीति में छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।

f"k{kक f"k{kा क मानक पूरे दे"ा मे एक समान हो सकें, इसके लिए उनके प्रवे"ा को भी राश्ट्रीय स्तर पर एक ही एजेंसी द्वारा किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी राश्ट्रीय f"k{kा नीति में दिया गया है। राश्ट्रीय f"k{kा नीति में पीएच–डी० विद्यार्थियों की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत सेवारत f"k{kकों के सतत एवं व्यावसायिक विकास की ओर भी ध्यान देने का प्रयास किया गया है।

राश्ट्रीय f"k{kा नीति 2020 की क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां–

यद्यपि राश्ट्रीय f"k{kा नीति 2020 में f"k{kक f"k{kा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए इसकी द"ाा एवं दि"ाा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं परंतु इसके उपरान्त भी f"k{kक f"k{kा के क्षत्र में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ एवं समस्याएं विद्यमान हैं। राश्ट्रीय f"k{kा नीति में किए गए f"k{kक f"k{kा संबंधी प्रावधानों में कुछ स्थानों पर क्रियान्वयन संबंधी अस्पश्टता एवं अंतर्विरोध हैं जो कि इस प्रकार ह–

- f"k{kक प्रf"k{kण के क्षेत्र में बहुविशयकता संबंधी दृश्टिकोण को स्थान प्रदान करना स्वागत योग्य पहल है परंतु एक प्र"न यह भी है कि, क्या केवल बहुविशयक दृश्टिकोण एवं ज्ञान से युक्त f"k{kक, ज्ञान की किसी भााखा अर्थात विशय वि"ोश के गहन ज्ञान के विf"k"टीकरण के अभाव में अपने अध्यापन संबंधी प्रमुख दायित्व का निर्वहन सफलतापूर्वक कर सकेंगे।
- वर्तमान में f"k{kक f"k{kा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाले नियामक संस्थानों के प्रयासों से सभी अवगत हैं। ता क्या ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को इन्हीं विनियामक संस्थाओं के वि"वास पर छोड़ दिया जाएगा या इस क्षेत्र में दृढ़ता से आमूलचूल परिवर्तन हेतु प्रयास किया जाएगा। यदि किया जाएगा तो इसकी क्या रूपरेखा होगी।
- क्या f"k{kकों की प्रतिश्ठा मात्र कमजोर गुणवत्ता वाले संस्थाना को बंद कर देने से ही पुनर्स्थापित हो जाएगी या फिर इस हेतु अन्य महत्वपूर्ण कारकों यथा f"k{kकों को अध्ययन–अध्यापन हेतु पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर उन्हें प्र"ाासन द्वारा बलपूर्वक अन्य किसी भी प्रकार के गैर भौक्षणिक कार्यों में लगा देने की

प्रवृत्ति पर रोक लगाने जैसे गंभीर कदम भी उठाए जाएंगे ? क्या शिक्षक प्रशिक्षकों को उन सभी आधारभूत व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे जिनकी सहायता से वह भली–भांति अपने प्राथमिक दायित्व अर्थात शिक्षण का निर्वहन करते हुए अपनी क्षमताओं में वृद्धि और अपना व्यावसायिक विकास कर सकें।

- एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम की अवधारणा तो उचित है परंतु इस हेतु व्यावहारिक रूप से यह भी सोचना होगा कि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के साथ–साथ इस स्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षणशास्त्र में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना कैसे संभव हो पाएगा। इसके लिए पाठ्यचर्या में किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी। यदि कोई विद्यार्थी बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दे तो नवोन व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी स्थिति में उसे शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी कौन सी उपाधि प्रदान की जाएगो, प्रदान की भी जाएगी अथवा नहीं।
- यदि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु 4 वर्शीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम इतना अधिक उपयोगी है तो इसके समानांतर ही उन्हीं संस्थानों में 2 वर्शीय और 1 वर्शीय बी.एड. कार्यक्रम चलाने का क्या औचित्य है। यदि है, तो जब भी इन पृथक–पृथक प्रकार के अभ्यर्थियों का सेवा में चयन का अवसर आएगा, तब किस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को चयन में प्रमुखता अथवा वरीयता प्रदान की जाएगी। इसी से संबंधित एक प्रश्न यह भी है कि क्या कोई ऐसा पक्षपात रहित मूल्यांकन का मानक सुलभ होगा जिससे इन पृथक–पृथक प्रकार के कार्यक्रमों की गुणवत्ता का परीक्षण कर निश्कर्श तक पहुंचा जा सकेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु संख्या 15.6 में जिस सार्वजनिक, निजी और विद्यालय परिसरों के नेटवर्क की बात की गई है, क्या यह व्यावहारिक रूप से संभव हो सकेगा क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले निजी विद्यालय इस हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे, यह सोचने का क्या आधार है और यदि उनके स्थानापन्न के रूप में कम गुणवत्ता वाले निजी विद्यालयां को लेने का प्रस्ताव किया जाए तो इससे इस उद्देश्य की प्राप्ति ही असंभव हो जाएगी।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा सेवापूर्व शिक्षकों का चयन निःसंदेह एक स्वागत योग्य कदम है। परंतु हमारे देश में वर्तमान में पृथक–पृथक स्तर हेतु अनेक प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन विविध स्तरों एवं पाठ्यक्रमों हेतु चयन के लिए क्या व्यवस्था होगी, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पश्ट नहीं है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा में संकाय सदस्यों हेतु पीएच–डी. उपाधि अनिवार्य नहीं की गई है जबकि उच्च शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा की नियामक संस्था द्वारा पूर्व में ही भारत के राजपत्र में यह स्पश्ट रूप से उल्लिखित कर दिया गया है कि 2021 से उच्च शिक्षा में नियुक्ति हेतु पीएच–डी० उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। अब यदि इसमें शिथिलता बरती जाए तो क्या इससे शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास नहीं होगा? क्योंकि शोध उच्च शिक्षा का अभिन्न और महत्वपूर्ण पक्ष है।
- शिक्षकों का सतत विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर व्यापक, व्यवस्थित एवं निश्कर्श युक्त विमर्श अपेक्षित है। वर्तमान समय में जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विविध कारणों से तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हों, तब ऐसी स्थिति में एक निर्धारित अवधि के पश्चात शिक्षकों के लिए "सेवारत सतत विकास कार्यक्रम" अत्यंत आवश्यक हो जाता ह। परंतु अनेक बार विविध कारणों से शिक्षक, इच्छा एवं

आव"यकता होने पर भी विभागीय अनुमति के अभाव अथवा अन्य गैर भौक्षणिक कार्यों की अधिकता के कारण इन से वंचित हो जाते हैं। अतः इस स्थिति को दूर करने के लिए एक सुस्पश्ट एवं पारद"र्ी कार्य योजना का होना अत्यंत आव"यक है। ऐसा होने पर प्रत्येक f"ाक्षक को अपनी व्यावसायिक दक्षताओं के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकेंगे । इस हेतु ऑनलाइन प्रf"ाक्षण महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे परंतु इनके व्यवस्थित एवं समुचित प्रयोग हेतु f"ाक्षकों को भी प्रf"ाक्षत करने व उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी अपेक्षित होगा।

- f"ाक्षक f"ाक्षा के क्षेत्र में मेंटरिंग अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। इस हेतु एक राश्ट्रीय मि"ान की स्थापना करना बहुत अच्छा प्रयास है। परंतु इस प्रकार के संस्थानों का कार्य धरातल पर निरीक्षण करना एवं पर्याप्त अनुसंधान कर नवीन आव"यकता एवं समस्याओं का समाधान करना होना चाहिए, तभी यह प्रयास सार्थक हो सकेगा।
- राश्ट्रीय f"ाक्षा नीति 2020 में एक प्रमुख न्यूनता यह है कि इसमें बी.एड. कार्यक्रम के संदर्भ में तो उचित रूप से चर्चा की गई है परंतु एम.एड. कार्यक्रम के संबंध में यह नीति मौन है। जबकि यह कार्यक्रम ही मूलतः f"ाक्षक प्रf"ाक्षकों की तैयारी की आधारf"ाला है।
- f"ाक्षक f"ाक्षा कार्यक्रम में एक अन्य महत्वपूण न्यूनता यह है कि इसमें सेवापूर्व प्रf"ाक्षण एवं सेवारत f"ाक्षक प्रf"ाक्षण के मध्य दृढ़ संबंध का अभाव है। जब तक यह स्थिति इसी रूप में विद्यमान रहेगी तब तक f"ाक्षक प्रf"ाक्षण में अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण वृद्धि संभव नहीं होगी अतः आव"यक है कि इस कमी को दूर करने के समुचित प्रयास किए जाएँ।
- f"ाक्षक f"ाक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए यह आव"यक है कि समय–समय पर इसकी पाठ्यचर्या को परिवर्तित आव"यकताओं के अनुरूप परिवर्तित किया जाए। यद्यपि पिछले कुछ वर्शों में इस दि"ाा में राश्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं परंतु उसके प"चात भी व्यापक स्तर पर बी.एड. कार्यक्रम के कुछ पक्षों में सुधार की अपेक्षा की जा रही है। इंटर्नf"ाप एक ऐसा क्षेत्र है जिस के संदर्भ में सुधार हेतु सर्वाधिक आव"यकता है। इसी प्रकार बी.एड. पाठ्यचर्या में भी राज्यों के स्तर में अत्यधिक विविधता है और यह विविधता इस कार्यक्रम की मूल्यांकन व्यवस्था के संदर्भ में भी स्पश्ट रूप से देखी जाती है। यही कारण है कि बी.एड. कार्यक्रम में किसी एक राज्य में प्राप्त परिणामों की तुलना दूसरों राज्य से करने का कोई सुदृढ़ आधार प्राप्त नहीं हो पाता। अतः स्पश्ट है कि ऐसी स्थिति में गुणवत्ता का निर्धारण कठिन नहीं तो दुश्कर कार्य अव"य है।

क्रियान्वयन संबंधी सुझाव–

उपर्युक्त वि"लेशण से राश्ट्रीय f"ाक्षा नीति में वर्णित f"ाक्षक f"ाक्षा के प्रावधान एवं f"ाक्षक f"ाक्षा की कुछ व्यावहारिक समस्याओं का बोध होता है। राश्ट्रीय f"ाक्षा नीति 2020 में f"ाक्षक f"ाक्षा संबंधी प्रावधानों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि इनका निर्धारण व्यापक विचार – विम"र् एवं वर्तमान f"ाक्षक f"ाक्षा की समस्याओं एवं न्यूनताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। परंतु मात्र नीति निर्माण से ही वांछित परिवर्तन संभव नहीं होते। अतः अब समस्त प्रयास इस दि"ाा में होने चाहिए कि नीति को किस प्रकार व्यावहारिक रूप से समग्रता में क्रियान्वित किया जा सकता है। इससे पूर्व को नीतियों एवं आयोगों में भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए थे परंतु क्रियान्वयन के अभाव के कारण

अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सके। कोठारी आयोग में वर्णित ि"क्षा पर किए जाने वाले व्यय संबधी प्रावधान को आज तक लागू न कर पाना हमारे नीति नियंताओं की क्रियात्मक विफलता का ज्वलंत प्रमाण है।

अतः नीति के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु यह आव"यक प्रतीत होता है कि पहले नीति को भलीभांति समझ लिया जाएं, व्यावहारिक समस्याओं को ज्ञान प्राप्त कर उनके अनुरूप नीति में आव"यक सं"ाोधन किए जाएं। तदुपरांत एक ऐसे समूह का गठन किया जाए जिसमं ि"क्षक ि"क्षा की धरातलीय समस्याओं से भिज्ञ ऐसे ि"क्षाविद् हां, जो ि"क्षा नीति में निहित द"र्न का, इस क्षेत्र की व्यावहारिक एवं वास्तविक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच की खाइं को पाटने का कार्य करते हुए सही अर्थों में भारतीय ि"क्षक ि"क्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर उसे नवीन द"ाा एवं दि"ाा प्रदान कर सकं।

तत्प"चात उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर एक नवीन एवं व्यावहारिक ि"क्षक ि"क्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया जाए और दे"ाभर के ि"क्षक प्रि"क्षकों के मध्य इसका उनकी भाशा वि"ोश में प्रचार–प्रसार किया जाए। इसके उपरांत ि"क्षक ि"क्षकों से प्राप्त सुझावों एवं पृश्ठपोशण के आधार पर सेवापूर्व एवं सेवारत ि"क्षकों हेतु पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों, अधिगम उपलब्धि, एवं सहायक सामग्री का निर्माण किया जाए। ऐसा करने पर ही नई ि"क्षा नीति 2020 के उद्दे"यों की प्राप्ति की दि"ाा में बढ़ा जा सकता है। बिना व्यापक विम"र्ा के सीधे–सीधे इस नीति को लागू करने के स्थान पर पूर्वोक्त वर्णित क्रम से आगे बढ़ने पर इसके कहीं अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हं।

संदर्भ–

ठाकुर, गोपाल कृश्ण (2020) राश्ट्रीय ि"क्षा नीति 2020 एक सिंहावलोकर, महात्मा गांधी अंतरराश्ट्रीय हिंदी वि"वविद्यालय वर्धा।

नई ि"क्षा नीति 1986

राश्ट्रीय ि"क्षा नीति 2020

ि"क्षक ि"क्षा का आधार पत्रक एनसीआरटी 2009।